X अभिशासन, मानव संसाधन विकास तथा संगठनात्मक प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक जैसी बहु-आयामी संस्था के लिए संगठनात्मक प्रणाली और नियंत्रण-व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी प्रणाली भलीभाँति काम कर रही है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने अभिशासन संबंधी मानकों में सुधार लाने तथा एक समर्पित कार्यबल तैयार करने की दिशा में अपने प्रयासों को सतत जारी रखने हेतु अपनी संप्रेषण नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान अनेक सम्मेलन, सेमिनार तथा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे कर्मचारियों तथा बाहरी विशेषज्ञों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान हुआ और सामयिक रुचि के विषयों के बारे में चर्चा तथा बहस सुकर हो पायी। इस मामले में रिज़र्व बैंक के प्रयासों को ऐसे विभिन्न विभागों ने समर्थन दिया जो कार्पोरेट सामाजिक दायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता का सम्मान करते हुए संगठन की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अभिशासन में सुधार के उपाय

अभिशासन का ढाँचा

X.1 किसी केन्द्रीय बैंक की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि वह जनहित में काम करता है, ऐसी सेवाएँ प्रदान करता है जो लोकहित के स्वरूप की होती हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। तदनुसार, केन्द्रीय बैंक में अभिशासन विधिक आधारों, पद्धतियों, विचारों की स्वतंत्रता और दायित्वों से संबंधित होता है। इसका संबंध समाज के अधिक कमजोर वर्ग के प्रति उचित और स्वीकार्य बर्ताव से भी है।

X.2 रिज़र्व बैंक के अभिशासन के ढाँचे में, केन्द्रीय निदेशक-मंडल शीर्ष संस्था है जो रिज़र्व बैंक की गतिविधियों पर नजर रखता है और दिशानिर्देश देता है। इसके अलावा, देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं। भारत सरकार केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों की तथा चार स्थानीय बोर्डों में सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन करती है। केन्द्रीय बोर्ड की 3 समितियां (केन्द्रीय बोर्ड समिति, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड और भुगतान तथा निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड) तथा चार उप-समितियां (लेखा परीक्षा और जोखिम निगरानी उप-समिति, मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति, भवन उप-समिति और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति) हैं। केन्द्रीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं। केन्द्रीय बोर्ड की एक वर्ष में सामान्यतः सात बैठकें होती है। रिज़र्व बैंक के कार्यों के प्रबंधन में चार उप गवर्नर तथा नौ कार्यपालक निदेशक गवर्नर की सहायता करते हैं।

केन्द्रीय बोर्ड और इसकी समिति की बैठकें

X.3 वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुई। इनमें से चार बैठकें महानगरीय केंद्रों (नई दिल्ली, चेन्नै, मुंबई और कोलकाता) पर तथा तीन बैठकें बारी-बारी से गैर-परांपरागत केंद्रों (पुदुचेरी, गुवाहाटी और श्रीनगर) पर आयोजित की गईं। इन बैठकों में हुई चर्चाएं अन्य बातों के साथ-साथ, रिज़र्व बैंक के कार्यों के सामान्य पर्यवेक्षण और उनकी दिशा, वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों को समर्थन देने में रिज़र्व बैंक की भूमिका से जुड़ी हुई थीं। परांपरागत रूप से बजट के बाद केन्द्रीय बोर्ड की बैठक को वित्त मंत्री संबोधित करते हैं। श्री पी. चिंदबरम, माननीय वित्त मंत्री ने बजट के बाद केंद्रीय बोर्ड की बैठक को 8 मार्च 2013 को नई दिल्ली में संबोधित किया।

X.4 वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की समिति की 45 साप्ताहिक बैठकें मुंबई में की गईं। समिति ने रिज़र्व बैंक के चालू कारोबार पर विचार करने और निर्गम विभाग तथा बैंकिंग विभाग से संबंधित रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक लेखाओं को अनुमोदन प्रदान करने का काम किया।

X.5 गवर्नर ने, केन्दीय बोर्ड की बैठकों के समय, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया। ऐसी चर्चाओं के दौरान सामान्यतः बैंक सुविधा-रहित / कम बैंकिंग सुविधावाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराए जाने, आईटी-चालित बैंकिंग सेवाओं /

इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रान्सफर, वित्तीय समावेशन के संवर्धन के उपायों, ऋण की उपलब्धता में वृद्धि, स्वयं-सहायता समूहों को विकसित करने, ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाए जाने तथा बैंक नोटों की गुणवत्ता और उपलब्धता इत्यादि में सुधार लाने के उपायों को शामिल किया गया।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्डों के निदेशक/सदस्य - परिवर्तन

नामांकन

X.6 आर्थिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. अरविंद मायाराम को, रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 8(1)(डी) के अंतर्गत श्री आर.गोपालन के स्थान पर 7 अगस्त 2012 से केंन्द्रीय बोर्ड का निदेशक (सरकारी नामिती) नामित किया गया।

X.7 श्री वाई.सी. देवेश्वर को रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(सी) के अंतर्गत, डॉ.अशोक एस. गांगुली के स्थान पर 3 सितंबर 2012 से केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक नामित किया गया।

X.8 प्रो.दामोदर आचार्य को रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(सी) के अंतर्गत स्वर्गीया श्रीमती शशि राजगोपालन के स्थान पर 12 अक्तूबर 2012 से केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक नामित किया गया।

X.9 श्री राजीव टकरू, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत श्री डी.के. मित्तल के स्थान पर 4 फरवरी 2013 से केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक (सरकारी नामिती) नामित किया गया।

X.10 डॉ. नचिकेत मधुसूदन मोर को 16 मई 2013 से रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 9(1) के अंतर्गत स्थानीय बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) का सदस्य तथा रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(बी) के अंतर्गत, स्वर्गीय प्रो.सुरेश तेंडुलकर के स्थान पर केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया।

नियुक्तियां

X.11 डॉ.ऊर्जित आर.पटेल को 11 जनवरी 2013 से रिज़र्व बैंक में उप गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया तथा उन्होंने 14 जनवरी 2013 को कार्यभार ग्रहण किया।

X.12 श्री आनंद सिन्हा बैंक में 1 मार्च 2013 से उप गवर्नर के पद पर काम करते रहे तथा उनका वर्तमान कार्यकाल, 19 जनवरी 2011 को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल का समय पूरा होने तक, 18 जनवरी 2014 तक रहेगा।

X.13 डॉ. रघुराम राजन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय को भारत सरकार के दिनांक 7 अगस्त 2013 की अधिसूचना द्वारा डॉ. डी. सुब्बाराव के कार्यकाल की समाप्ति पर उनके स्थान पर तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। 5 सितंबर 2013 को गवर्नर के रूप में कार्यग्रहण करने के पूर्व तीन सप्ताह के लिए उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है ताकि वे भी वर्तमान गवर्नर के साथ काम कर सकें।

सेवानिवृत्तियां / पदत्याग

X.14 डॉ. सुबीर गोकर्ण ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद, 31 दिसंबर 2012 को रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के पद का त्याग कर दिया।

X.15 श्री नज़ीब जंग ने, दिल्ली के उप राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद, 9 जुलाई 2013 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के पद का त्याग कर दिया।

X.16 श्री कुमार मंगलम बिड़ला ने 11 जुलाई 2013 से केन्दीय बोर्ड के निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

X.17 डॉ.एम.गोविंद राव ने, 14वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद 7 फरवरी 2013 से स्थानीय बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया।

कार्यपालकों की नियुक्ति / सेवानिवृत्ति

X.18 श्री वी.एस. दास, कार्यपालक निदेशक 31 जुलाई 2012 को कारोबार की समाप्ति के समय से सेवानिवृत्त हो गये।

X.19 श्री जसबीर सिंह को 1 अगस्त 2012 से कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। वह निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के प्रभारी हैं।

X.20 श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक 31 दिसंबर 2012 को कारोबार की समाप्ति से सेवानिवृत्त हो गये।

X.21 डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी को 1 जनवरी 2013 से कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

X.22 श्रीमती ग्रेस कोशी, मुख्य महाप्रबंधक और सचिव 31 दिसंबर 2012 को कारोबार की समाप्ति के समय से रिज़र्व बैंक से सेवानिवृत्त हो गयीं।

पुरस्कार / बधाई / सम्मान

X.23 सुश्री इला भट्ट, निदेशक को आधारभूत उद्यमिता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनकी आजीवन उपलब्धियों के लिए, भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने फरवरी 2013 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2011 का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया।

विदेशी विशिष्ट अतिथियों का दौरा

X.24 वर्ष के दौरान अनेक विदेशी शिष्टमंडल रिज़र्व बैंक में आए तथा उन्होंने वैश्विक आर्थिक स्थिति, सुदृढ़, धारणीय और संतुलित वैश्विक वृद्धि हेतु अपेक्षित ढांचे तथा वित्तीय / विनियामक सुधारों सहित व्यापक मुद्दों पर शीर्ष प्रबंध-तंत्र के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। इन चर्चाओं के दौरान आपसी व्यापार, निवेश तथा द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े पहलुओं के अलावा रिज़र्व बैंक की मौद्रिक तथा विनियामक नीतियों के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान रिज़र्व बैंक में आए विशिष्ट अतिथियों की सूची अनुबंध I में दी गई है।

संप्रेषण संबंधी उपाय

X.25 पिछले कई वर्षों में, बेहतर संप्रेषण की दिशा में रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई रणनीति का एक प्रमुख तत्व, केंद्रीय बैंक और गवर्नर के कार्यालय के बारे में रहस्यों पर से पर्दा हटाना तथा लोगों की जानकारी बढ़ाना रहा है। इस संबंध में अनेक कदम उठाये गये हैं।

X.26 मौद्रिक नीति के संप्रेषण के संबंध में नई उभरती हुई प्रौद्योगिकी का सहारा लेने के अंतर्गत गवर्नर के मौद्रिक नीति वक्तव्य की लाइव वेबकास्टिंग के अलावा मोबाइल स्ट्रीमिंग शामिल थी। वर्ष 2012-13 की मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा के समय से जनवरी 2013 में इसकी शुरुआत की गई। इससे रिज़र्व बैंक के संप्रेषण के दायरे में भारी वृद्धि हुई है। वस्तुतः मोबाइलों के सहारे ऐक्सेस, जनवरी 2013 के 2975 डाउनलोड से बढ़कर मई 2013 में 3756 डाउनलोड हो गये और जुलाई 2013 में यह और बढ़कर 8096 डाउनलोड हो गए।

टाउन हॉल कार्यक्रम / आउटरीच कार्यक्रम

X.27 रिज़र्व बैंक के बारे में रहस्यों पर से पर्दा हटाकर लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए वर्ष 2010 में टाउन हॉल कार्यक्रम शुरू किये गये ताकि रिज़र्व बैंक जनता के और करीब पहुंच सके तथा यह बताया जा सके कि केन्द्रीय बैंक जनसाधारण के दैनिक जीवन को किस प्रकार स्पर्श करता है। इस प्रक्रिया में नीति-निर्माण के लिए रिज़र्व बैंक को भी अनेक जानकारियां मिलती हैं। टाउन हॉल कार्यक्रम दूसरी श्रेणी के शहरों में वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में गवर्नर तथा उप गवर्नर छात्रों के उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहते हैं जो तरुण भारत की आकांक्षाओं के द्योतक होते हैं। संचार विभाग ने 3 अक्तूबर 2012 को पुदुचेरी में एक टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कॉलेज, पुदुचेरी विश्वविद्यालय, शारदा गंगाधरन कॉलेज और सेंट जोसेफ कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। एबीपी न्यूज़ ने इस कार्यक्रम को व्यापक श्रोता-वर्ग तक पहुँचने का काम किया।

X.28 पश्चिम बंगाल में शारदा कंपनी से जुड़ी घटना के मामले में, जनता से जुड़ी नीतियों का निर्माण करने वाली संस्था के रूप में, रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन के मामले में तथा शिकायत निवारण हेतु उपलब्ध तंत्र के बारे में विभिन्न विनियामकों की भूमिका के संबंध में जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी ली। इस दिशा में रिज़र्व बैंक ने 29 जून 2013 को चंडीगढ़ में टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया। श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में जनता के सवालों के जवाब दिये। सीएनबीसी टीवी 18 के साथ सहभागिता की मदद से इस टाउन हॉल कार्यक्रम को व्यापक श्रोतावर्ग तक पहुँचाया गया।

X.29. वित्तीय साक्षरता में वृद्धि करने और गरीबों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सुकर बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई

आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये। वर्ष के दौरान सामान्य जनता तथा छात्रों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ''फोरेक्स फॉर यूथ'' नामक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भुगतान प्रणाली के संबंध में जानकारी और उसका उपयोग/उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए ई-बात कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों से विभिन्न भुगतान उत्पादों के संबंध में जागरूकता लाने में मदद मिली तथा लोगों को इस बात की भी जानकारी हुई कि गैर-नकदी भुगतान उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इन उत्पादों का प्रयोग कितनी आसानी से किया जा सकता है और समाज में कम नकदी के प्रयोग की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है।

आईआईएम कोज़ीकोड में इंडियन बिज़नेस हिस्ट्री म्यूज़ियम में आरबीआई पैविलियन

X.30. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनजमेन्ट, कोज़ीकोड के अनुरोध पर संचार विभाग ने उक्त संस्थान के इंडियन बिज़नेस हिस्ट्री म्यूज़ियम में एक स्थायी पैविलियन स्थापित किया। इस पैविलियन में, बैंक नोटों के विकास से संबंधित संक्षिप्त कहानी के साथ, रिज़र्व बैंक और वित्तीय प्रणाली का रोचक दृश्य इतिहास शामिल किया गया है। पैविलियन में गवर्नर्स गैलरी, बैंक नोटों के सत्यापन के लिए प्रयोग की जानेवाली एक अल्ट्रा-वॉयलेट मशीन और रिज़र्व बैंक के कुछ प्रकाशन भी उपलब्ध हैं। इस पैविलियन का उद्घाटन डॉ. डी सुब्बाराव ने जुलाई 2012 में किया।

X.31. आईआईएम, कोज़ीकोड के अनुसार इस म्यूज़ियम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुँचते हैं जिनमें शासनाध्यक्ष, राजदूत, बुद्धिजीवी और विचारक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विद्वान, शिक्षक, अलग-अलग आयु वर्ग के छात्र और साधारण जनता शामिल है।

शैक्षिक दौरे

X.32. रिज़र्व बैंक, वित्तीय साक्षरता परियोजना के अंग के रूप में वर्ष 2006 से शैक्षिक दौरे आयोजित करता रहा है। समय बीतने के साथ-साथ ऐसे दौरे, लोगों के बीच की आपसी चर्चाओं के माध्यम से, लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। जुलाई 2011 से जून 2012 के वित्त वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने कई दौरे आयोजित किए तथा जुलाई 2012 से जून 2013 तक 89 दौरे आयोजित किए गए। रिज़र्व बैंक हर महीने औसतन ऐसे चार-पाँच दौरे आयोजित करता है। इनमें भाग लेने वालों में स्कूल, कॉलेज, आइएएस और राज्यों की सिविल सेवाओं के अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन, वरिष्ठ नागरिकों के समूह तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल होते हैं। इनसे जुड़े सत्रों में तीन मॉड्यूल होते हैं - मौद्रिक संग्रहालय देखना, रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान और समाशोधन गृह देखना। अनुरोध किए जाने पर, रिज़र्व बैंक के अधिकारी रिज़र्व बैंक के कार्यों और उसकी भूमिका के बारे में तथा विशिष्ट विषयों पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों में व्याख्यान भी देते हैं।

सेमिनार

X.33. शोध छात्रों और विश्लेषकों के बीच रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक केंद्रों पर, संयुक्त रूप से आउटरीच सेमिनारों का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाता है। वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद शोध विश्लेषकों के लिए मुंबई में एक आउटरीच सेमिनार तथा, दूसरी श्रेणी के शहरों सहित, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम, अगरतला विश्वविद्यालय, अगरतला और जयपुर कार्यालय में भी तीन सेमिनार आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों तथा वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

X.34. रिज़र्व बैंक के सांविधिक प्रकाशनों (वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति तथा मद्रा और वित्त की रिपोर्ट) के विश्लेषणात्मक शोध विषयों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय विषय पर, आउटरीच सेमिनारों का आयोजन भी किया गया।

अनुसंधान और प्रतिभा योजनाएं

X.35. रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक की मासिक बुलेटिन और साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक के स्वरूप में संशोधन किया है। इसके अलावा रिज़र्व बैंक अपने स्टाफ को, शोधपत्र प्रकाशित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। इस संदर्भ में, विभिन्न समष्टि-आर्थिक तथा नीतिगत विषयों पर आंतरिक तकनीकी तथा विश्लेषणात्मक शोध के प्रसार के लिए, रिज़र्व बैंक

ऑकैज़नल पेपर्स और वेब-आधारित आरबीआई वर्किंग पेपर सिरीज़ जैसे स्टाफ के शोधपरक प्रकाशनों ने एक बड़े प्लैटफार्म का काम किया। मार्च 2011 में शुरू की गई आरबीआई वर्किंग पेपर सिरीज़ के अंतर्गत, विभिन्न विषयों पर, अप्रैल 2013 तक 45 पेपर अपलोड किये जा चुके हैं।

X.36. आंतरिक शोध कार्य के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(15बी) में शिक्षाजगत तथा शोध संस्थाओं में बाहरी शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इस प्रयोजन हेतु रिज़र्व बैंक प्रतिभा योजना और विकास अनुसंधान समूह अध्ययनों के माध्यम से धन उपलब्ध कराता है। प्रतिभा योजना के अंतर्गत प्रदत्त बाह्य शोध सहायता के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/शोध संस्थाओं में आरबीआई चेयर्स की स्थापना, मध्यम अवधि की शोध परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराना, सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों के लिए सहायता प्रदान करना, जर्नल्स का प्रकाशन, संकाय सदस्यों के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं चलाना इत्यादि शामिल हैं। अब तक 39 विकास अनुसंधान समूह अध्ययन प्रकाशित किये जा चुके हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, शोध परियोजना निधीयन के अंग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर ''इंडिया, चाइना, बाइलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप'' तथा "हाउ द पूअर मैनेज देयर फाइनैंसेसः- ए स्टडी ऑफ द पोर्टफोलिओ चॉइसेस ऑफ पूअर हाउसहोल्ड्स इन एर्णाकुलम डिस्ट्रिक्स, केरला'' शीर्षक दो परियोजना शोध अध्ययन उपलब्ध कराये हैं।

X.37. आर्थिक शोध और नीति के क्षेत्र में प्रोफेसर के.एन. राज के योगदान की प्रशस्ति के रूप में, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2012-13 में प्रोफेसर के.एन.राज मेमोरियल नैशनल फेलोशिप स्कीम शुरू की। इस योजना के अंतर्गत भारत के या भारत से बाहर के सामान्य विज्ञान के किसी प्रतिष्ठित विद्वान को, भारत में किसी शैक्षिक/शोध संस्थान में थोड़े समय के लिए अनुसंधान कार्य हेतु फेलोशिप प्रदान की जाती है। ऐसी पहली फेलोशिप कॉर्नेल यूनिर्वसिटी के प्रो. रवि कानबर को प्रदान की गई है। इस फेलोशिप के अंतर्गत प्रो. रवि कानबर, सेंटर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज़, तिरुवनंतपुरम में ''इनफॉर्मेलिटी: कॉज़ेस, कॉन्सिक्वेन्सेस ऐन्ड पॉलिसी रिस्पॉन्सेस'' विषय पर शोध करेंगे।

X.38. पिछले वर्ष से रिज़र्व बैंक, बैंक के शोधकर्ताओं द्वारा अपने पेपर्स प्रस्तुत किये जाने को सुगम बनाने हेतु सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। बैंक ने दूसरी डीईपीआर रिसर्च कॉन्फरेन्स 30 मई 2013 को तथा रिज़र्व बैंक चेयर प्रोफेसर्स रिसर्च कॉन्फरेन्स, 31 मई 2013 को आयोजित की। रिज़र्व बैंक के शोधकर्ताओं और चेयर प्रोफेसर्स द्वारा विचारित शोध विषयक मुद्दों पर द्विपक्षीय फीडबैक प्राप्त करने के लिए संयुक्त सम्मेलन एक प्रभावी मंच सिद्ध हुआ।

वित्तीय शिक्षा विषय पर इंडिया-ओईसीडी-वर्ल्ड बैंक रीज़नल कॉन्फरेन्स

X.39. वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को दी गई प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए रिज़र्व बैंक ने, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा विश्व बैंक के सहयोग से, वित्तीय शिक्षा विषय पर नई दिल्ली में 4 से 6 मार्च 2013 तक एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

X.40. विभिन्न सत्रों में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति, वित्तीय साक्षरता की माप और कार्यक्रम मूल्यांकन की विधियों, युवकों और महिलाओं के लिए वित्तीय शिक्षा, तथा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए नवोन्मेषी तरीकों जैसे व्यापक मुद्दों पर विचार-विमर्श किये गये। कुछ गिने-चुने बैंकों / गैर-सरकारी संगठनों को, सम्मेलन स्तर पर, वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये प्रयासों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया गया जिसपर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। यह सम्मेलन सीख का मूल्यवान अनुभव साबित हुआ तथा इससे अनुभवों के आदान-प्रदान और नये मुद्दों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श का मंच प्राप्त हुआ।

X.41. व्यापारियों और उपभोक्ताओं जैसे भागीदारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद लोकप्रिय बनाने के लिए रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों के सहयोग से ई-बात कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बना रहा है।

ज्ञान का प्रसार - अंतरराष्ट्रीय सेमिनार

X.42. रिज़र्व बैंक ने 14 से 16 फरवरी 2013 के बीच ''प्रिसिंपल्स फॉर फाइनैंशियल मार्केट, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ऐन्ड इनोवेशन इन रिटेल पेमेन्ट्स'' विषय पर नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में वित्त बाज़ार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सिद्धांत और इसके प्रभाव, तथा विश्वभर में खुदरा भुगतान के क्षेत्र में हाल की गतिविधियां - इन दो विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। सेमिनार में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, विश्व बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बंडेस बैंक और हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी के विद्वान वक्ताओं ने 23 देशों के सहभागियों को संबोधित किया।

समग्र उद्यम (बैंकिंग क्षेत्र) में जोखिम प्रबंधन

X.43. समग्र बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम प्रबंधन हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे उपायों के अंग के रूप में 31 मई 2012 को जोखिम प्रबंध विभाग की स्थापना की गई। इस जोखिम प्रबंधन के ढांचे के अंतर्गत ''जोखिम अभिशासन ढाँचा'' तथा त्रिस्तरीय ''जोखिम प्रबंध ढाँचा'' शामिल है जिसकी सहायता से रिज़र्व बैंक संगठनात्मक स्तर पर अपने समक्ष उपस्थित जोखिमों का समग्र मूल्यांकन कर सकेगा और जोखिम संबंधी अपनी नीतियों तथा जोखिम सहयता सीमाओं के अनुरूप इन जोखिमों का प्रबंधन कर सकेगा।

X.44. ''जोखिम अभिशासन ढाँचा'' के अंतर्गत शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय बोर्ड है जो रिज़र्व बैंक के समग्र अभिशासन के लिए उत्तरदायी है। इस मामले में लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति बोर्ड की सहायता करनी है। इस उप समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होते हैं। उक्त उप समिति रिज़र्व बैंक की जोखिम संबंधी व्यापक रणनीति के लिए उत्तरदायी है। कार्यपालक स्तरीय जोखिम निगरानी समिति रिज़र्व बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों पर नजर रखने तथा रिज़र्व बैंक की नीतियों के अनुसार जोखिमों का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह समिति लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

X.45. त्रिस्तरीय जोखिम प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत पहले स्तर पर, कारोबारी क्षेत्र शामिल होंगे तथा यही पहला स्तर जोखिमों के प्रबंधन के लिए मूलतः जिम्मेदार होगा। दूसरा स्तर - केंद्रीकृत जोखिम निगरानी विभाग - लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंध उप-समिति/जोखिम निगरानी समिति को सहायता करेगा और समग्र बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी नीतियों तथा तौर-तरीकों के निर्माण और समय-समय पर उनकी समीक्षा, सभी महत्त्वपूर्ण जोखिमों की पहचान, उनके समूहन तथा जोखिम निगरानी समिति/ लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंध उप-समिति को उनकी रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न करोबारी क्षेत्रों के साथ विचारों के आदान-प्रदान, ''लॉस'' और ''नीयर लॉस'' घटनाओं की सांस्थानिक स्मृति सृजित करने और संगठन में ''जोखिम सजगता'' संस्कृति को पोषित करने के लिए जिम्मेदार होगा। तीसरे स्तर के अंतर्गत निरीक्षण विभाग आता है जो आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से जोखिम निश्चयन की भूमिका निभाता है।

मानव संसाधन विकास गतिविधियां

प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति/उच्चतर अध्ययन/दूरस्थ शिक्षार्जन

X.46. संगठन में मानक पूंजी की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु रिज़र्व बैंक ने अपने स्टाफ को, कौशल उन्नयन हेतु अवसर प्रदान करना जारी रखा। बैंक के छह प्रशिक्षण संस्थान, नामतः रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे और मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नै स्थित चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र बैंक की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय ग्रामीण/सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में बैंकिंग उद्योग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करता है (सारणी X.1.)।

X.47. रिज़र्व बैंक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे देश में नवयुवक छात्रों को प्रोत्साहित करके, वित्तीय समावेशन के लिए रिज़र्व बैंक के समग्र-प्रयासों में वित्तीय शिक्षा और वित्तीय साक्षरता को एकीकृत किये जाने की संभावनाओं की तलाश के लिए, आरबीआईक्यू -एक अखिल भारत रिज़र्व बैंक

सारणी X.1: रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण संस्थाएं - आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्था	2010-11 (जुलाई-जून)		2011-12 (जुलाई-जून)		2012-13 (जुलाई-जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
रि.बैं.स्टा.म., चेन्नै	147	2904	125	2492	126	2676*
कृ.बैं.म., पुणे	162	4951	190	5647	164	5105@
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी I)	57	1140	116	2098	116	2526
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी III)	87	1310	35	639	64	1492
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी IV)	70	1422	65	1237	58	1184

* : 14 विदेशी सहभागियों सहित.
@: 52 विदेशी सहभागियों सहित.

अंतर विद्यालय क्विज़ कार्यक्रम - वर्ष 2012 में आरंभ किया गया (बॉक्स X.1)।

बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण

X.48. वर्ष 2012-13 में बाहरी प्रबंध/बैंकिंग संस्थाओं द्वारा भारत में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपने 874 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अनेक कर्मचारियों को भी भारत स्थित बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। रिज़र्व बैंक ने 54 से अधिक देशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भी 510 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया (सारणी X.2.)।

X.49. वर्ष के दौरन रिज़र्व बैंक के छह अधिकारियों ने उच्चतर अध्ययन के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अध्ययन अवकाश लिया। इसके अलावा 350 कर्मचारियों ने वर्ष 2012-13 के दौरान रिज़र्व बैंक की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चुनिंदा अंशकालिक /दूरस्थ शिक्षा पाठयक्रमों में अध्ययन किया।

X.50. हाल के वर्षों में देश की जनसंख्या के अब तक वंचित रह गये भाग के लिए वित्तीय सेवाओं की और अधिक उपलब्धता

बॉक्स X.1
आरबीआईक्यू

अखिल भारत रिज़र्व बैंक अंतरविद्यालय क्विज़ प्रतियोगिता वर्ष 2012 में शुरू की गई। यह कदम इस बात पर बनती सहमति के अनुरूप है कि वित्तीय शिक्षा के आउटरीच के विस्तार की दिशा में कोई भी प्रयास विद्यालय स्तर पर आरंभ किये जाने की जरूरत है। विद्यालय स्तर पर क्विज़ प्रतियोगिता जैसे रोचक, प्रभावी और लोकप्रिय तरीके में आधारभूत वित्तीय शिक्षा में सुधार लाने में वित्तीय साक्षरता हेतु ठोस आधार निर्मित करने की संभावना है। यह महसूस किया गया है कि पूरे देश में, विशेष कर नवयुवकों के विशाल वर्ग के लिए, रिज़र्व बैंक और बैंकिंग प्रणाली की भूमिका के बारे में आरबीआईक्यू सजगता पैदा करने वाली और सूचनाप्रद प्रमुख गतिविधि बन जायेगा।

आरबीआई क्यू आयोजित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- रिज़र्व बैंक के इतिहास और उसकी भूमिका, बैंकिंग और वित्त, अन्य बैंकिंग संस्थाओं, अर्थशास्त्र, समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उन घटनाओं के बारे में जागरूकता और रुचि पैदा करना जिन्होंने समय बीतने के साथ-साथ भारत की वृद्धि और उन्नति में योगदान किया हैं।
- देश में रिज़र्व बैंक और छात्र समुदाय के बीच एक सेतु निर्मित करना तथा वित्तीय साक्षरता की व्यापक जानकारी उपलब्ध कराना।
- एक राष्ट्रीय मंच पर मेधावी युवक छात्रों की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना।

एक सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद तथा रोचक क्विज़ कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया आरबीआई क्यू का आयोजन देश के विभिन्न भागो में 32 स्थानों पर किया गया। आरबीआईक्यू 2012 समग्र देश के विद्यालयों के युवक छात्र समुदाय के साथ निकटतम संबंध बनाने और वित्तीय साक्षरता के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण में सहायक सिद्ध हुआ। वर्ष 2013 में 12 नये स्थानों पर आरबीआईक्यू आयोजित करने की योजना है अर्थात् देश के कुल 44 स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम किए जायेंगे। सभी बोर्डों के, कक्षा 9 से 12 तक के छात्र आरबीआईक्यू में भाग लेने के पात्र होंगे।

आरबीआईक्यू में रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंकिंग के इतिहास, बैंकिंग, लेखाकरण, वित्त, व्यापार और वाणिज्य, भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, कारोबार से जुड़े सामान्य शब्दों, समय बीतने के साथ भारत की उपलब्धियों, सामान्य ज्ञान और सामयिक क्रियाकलापों के विषय में प्रश्न शामिल होंगे।

पूरा कार्यक्रम नवोन्मेषी और अत्यंत रोचक तरीके से संचालित किया जाता है ताकि इसमें युवक सहभागियों तथा श्रोता वर्ग की रुचि पैदा हो और बढ़े, तथा वे संबंधित विषयों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक बनें।

सारणी X.2: भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में (बाहरी संस्थाओं में) प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	विदेश में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
1	2	3
2010-11	1,090	578
2011-12	1,072	511
2012-13	874	510

सुनिश्चित करने, तथा देश में वित्तीय शिक्षा और साक्षरता के मामले में जानकारी के अंतराल को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, रिज़र्व बैंक के युवक सीधी भर्ती अधिकारियों को अधिक संवेदनशील बनाने और उन्हें इन प्रयासों में शामिल करने की संभावना तलाश कर, वित्तीय समावेशन संबंधी उपायों के मामले में नवोन्मेष की आवश्यकता महसूस की गई। इससे मानव संसाधनों का बेहतर एकीकरण हो सकेगा तथा वित्तीय समावेशन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किये जा रहे समग्र प्रयासों के मामले में नये और कार्यान्वयन-योग्य विचार भी आ सकेंगे।

X.51. इसके अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने स्वर्गीया शशि राजगोपालन के सम्मान में एक पुरस्कार योजना आरंभ करने का निर्णय लिया। श्रीमती राजगोपालन ने 27 जून 2006 और 5 अगस्त 2011 के बीच केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया था और ग्रामीण विकास तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अनेक वर्षों तक काम किया था। प्रथम शशि राजगोपालन स्मारक पुरस्कार 26 जनवरी 2013 को मुंबई में प्रदान किए गए (बॉक्स X.2.)।

दक्षिण पूर्व एशियाई केन्द्रीय बैंक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की सदस्यता

X.52. रिज़र्व बैंक को दक्षिण-पूर्व एशियाई केन्द्रीय बैंक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के 19वें सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2013 से शामिल कर लिया गया है। यह केंद्र केन्द्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण के लिए एशिया का क्षेत्रीय ज्ञानार्जन केंद्र है और यह अपने सदस्य केन्द्रीय बैंकों/मौद्रिक प्राधिकारियों के बीच नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके प्रशिक्षण और सुविधाओं की उच्च गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए रिज़र्व बैंक इस केंद्र का सदस्य बनने से पहले से ही, इसके द्वारा क्षमता-निर्माण हेतु आयोजित किये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा सेमिनारों में अपने अधिकारियों भेजता रहा है।

संयुक्त सेमिनार

X.53. संयुक्त हित के क्षेत्रो में संयुक्त सेमिनारों के रूप में रिज़र्व बैंक तथा बैंक दे फ्रान्स के बीच के समझौतों के अंग के रूप

बॉक्स X.2
शशि राजगोपालन स्मारक पुरस्कार

ऐसे सभी सीधी भर्ती अधिकारी, जिन्होंने रिज़र्व बैंक में कार्यभार ग्रहण कर लिया है या जो जनवरी 2012 से यहाँ कार्यभार ग्रहण करेंगे, इन पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे। यह ग्रामीण परिवेशमय अनुभव, ऊपर बतायी गई तारीख से रिज़र्व बैंक में आनेवाले सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि के प्रशिक्षण का अंग बनाया गया है।

इसके एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक में आनेवाले सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए, बैंक-रहित क्षेत्र और कम बैंकिंग सुविधावाले क्षेत्र (दोनों में) में सात-सात दिनों के लिए विलेज इमर्सन कार्यक्रमों में भाग लेना आवश्यक है। इस प्रयास को अधिक सार्थक तथा सहयोगपरक बनाने के लिए ये पुरस्कार ''टीम एफॉर्ट'' के रूप में स्थापित किये गये हैं तथा प्रत्येक टीम में 2 पात्र सीधी भर्ती अधिकारी शामिल होंगे।

कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक टीम के लिए, संबंधित क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने/उनके वित्तीय समावेशन के लिए आवश्यक समझे गये उपायों / नीतियों के बारे में उनके अनुभवों के विषय में परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। शशि राजगोपालन पुरस्कार में ऐसे आधारभूत, वास्तविक अनुभवों का सुंदरतम प्रलेखन प्रस्तुत किया गया है। तीन सर्वोत्तम प्रयासों के लिए तीन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जिनमें दो सांत्वना पुरस्कार शामिल हैं।

कुल मिलाकर, आशा की जाती है कि ये रिपोर्टें आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष से जुड़े उन अवरोधों पर प्रकाश डालेंगी जो हमारी जनसंख्या के बड़े वर्ग के लिए बहुत कम मात्रा में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हो पाने के लिए जिम्मेदार हैं तथा विद्यमान परिस्थितियों के कारण होने वाली असुविधाओं का समाधान करने के लिए उठाये गये कदमों तथा सरकारी नीति की भूमिका और वित्तीय समावेशन के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबको समान अवसर उपलब्ध कराने के बारे में भी जानकारी देंगी।

कोई भी वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए आधारभूत बात यह होती है कि सर्वप्रथम वित्तीय सुविधाओं की परिधि से बाहर रह गये लोगों की परिस्थिति को समझा जाए ताकि कम-से-कम, उनके लिए बनायी गयी नीतियों और किये जा रहे उपायों के अंतर्गत उनकी आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके।

आशा की जाती है कि आधारभूत स्तर पर लोगों के जीवन का अनुभव करने और उसे समझने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा युवक केंद्रीय बैंकरों को उपलब्ध कराया गया यह अवसर उस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

में इस श्रृंखला का चौथा सेमिनार 22-23 मार्च 2013 को कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में आयोजित किया गया। इस सेमिनार का विषय ''उपभोक्ता संरक्षण'' था।

संयुक्त भारत - आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम - पुणे

X.54. रिज़र्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एनआईबीएम, पुणे में संयुक्त भारत - आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त रूप से शुरू किया था। वर्ष 2012-13 के दौरान 9 कार्यक्रम आयोजित किये गये थे जिसमें रिज़र्व बैंक के 55 अधिकारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम मई 2013 से बंद कर दिया है।

अनुदान तथा प्रतिभा

X.55. वर्ष 2012-13 के दौरान रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्शी गतिविधियों के लिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई को 330 मिलियन रूपये; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और ज्ञानार्जन केंद्र (कैफरल), मुंबई को 70 मिलियन रुपये, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, पुणे को 14.9 मिलियन रुपये और भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी को 1.47 मिलियन रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

संगठन प्रबंध संबंधी उपाय

X.56. रिज़र्व बैंक ने क्षमता-निर्माण संबंधी उपायों और ज्ञान प्रसार के साथ-साथ प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करने संबंधी अपने उपायों को जारी रखा।

औद्योगिक संबंध

X.57. रिज़र्व बैंक सेवा शर्तों और कल्याणकारी उपायों से जुड़े मामलों में, अधिकारियों और कर्मचारियों / कामगारों के मान्यताप्राप्त संगठनों / संघों के साथ समय-समय पर बैठकें करता रहता है। इनके साथ वर्ष के दौरान किए गए बैंक के विचार-विमर्श उत्साहवर्धक रहे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

X.58. रिज़र्व बैंक में सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित किये जाने के 8वें वर्ष में सूचना प्राप्ति के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों की संख्या बढ़कर 6276 हो गयी है जिसमें से 95 प्रतिशत सूचनाएं उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। वर्ष के दौरान 917 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं। अपीलीय प्राधिकारी ने 936 अपीलों पर आदेश पारित कर दिये हैं तथा इनमें पिछले वर्ष प्राप्त हुई अपीलें भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग ने अपीलकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई 21 द्वितीय अपीलों की सुनवाई की।

X.59. सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से परिचित कराने तथा रिज़र्व बैंक में इसके कार्यान्वयन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम पर रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै में दो कार्यक्रम और आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नै में तीन कार्यक्रम आयोजित किये गये।

स्टाफ की संख्या

X.60. 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक में कुल स्टाफ संख्या 17,449 थी जो एक वर्ष पहले 18,132 थी। कुल स्टाफ में श्रेणी I का स्टाफ 46.7 प्रतिशत, श्रेणी III का स्टाफ 20.56 प्रतिशत और शेष स्टाफ श्रेणी IV का था। (सारणी X.3)।

सारणी X.3: श्रेणी-वार वास्तविक स्टाफ संख्या
(30 जून 2013 की स्थिति)

श्रेणी	वास्तविक संख्या
1	2
श्रेणी I	**8,148**
1. ग्रेड एफ में वरिष्ठ अधिकारी	92
2. ग्रेड ई में वरिष्ठ अधिकारी	296
3. ग्रेड डी में वरिष्ठ अधिकारी	355
4. ग्रेड सी अधिकारी	1,038
5. ग्रेड बी अधिकारी	1,527
6. ग्रेड ए अधिकारी	4,790
7. कोषपाल	7
8. उप कोषपाल	4
9. सहायक कोषपाल	39
श्रेणी III	**3,588**
1. वरिष्ठ सहायक	1,036
2. सहायक	1,539
3. सचिवीय सहायक	56
4. शब्द संसाधक सहायक	270
5. विशेष सहायक (टेलर)	307
6. श्रेणी III (अन्य)	380
श्रेणी IV	**5,713**
1. रखरखाव स्टाफ	1,333
2. सर्विस स्टाफ	3,549
3. तकनीकी स्टाफ	162
4. अन्य स्टाफ	669
रिज़र्व बैंक में कुल संख्या (क+ख +ग)	**17,449**

X.61. मुंबई केंद्र पर (केंद्रीय कार्यालय के विभागों सहित) सबसे अधिक स्टाफ (5227 या 29.96 प्रतिशत) था। इसके बाद कोलकाता (1528 या 8.79 प्रतिशत), चेन्नै (1269 या 7.27 प्रतिशत) और फिर नई दिल्ली (1189 या 6.81 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी X.4)।

सारणी X.4: रिज़र्व बैंक की कार्यालय-वार स्टाफ संख्या
(30 जून 2013 की स्थिति)

कार्यालय (उप-कार्यालयों सहित)	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4	5
अगरतला	7	2	0	**9**
अहमदाबाद	328	159	238	**725**
बंगलूरु	477	143	224	**844**
बेलापुर	138	60	182	**380**
भोपाल	163	74	74	**311**
भुवनेश्वर	170	80	186	**436**
चंडीगढ़	180	58	91	**329**
चेन्नै	519	333	417	**1,269**
देहरादून	20	6	2	**28**
गंगटोक	5	0	0	**5**
गुवाहाटी	236	125	196	**557**
हैदराबाद	321	126	259	**706**
जयपुर	283	126	191	**600**
जम्मू@	98	29	64	**191**
कानपुर	258	183	305	**746**
कोची	41	43	34	**118**
कोलकाता	589	410	529	**1,528**
लखनऊ	189	63	125	**377**
मुंबई	770	415	1040	**2,225**
नागपुर	267	216	239	**722**
नई दिल्ली	608	246	335	**1,189**
पणजी, गोवा	20	3	2	**25**
पटना	187	97	211	**495**
पुणे-कृबैंम-सीआरडीसी-आईटीपी	67	20	79	**166**
रायपुर	13	3	0	**16**
रांची	14	4	0	**18**
शिलांग	7	2	0	**9**
शिमला	9	0	0	**9**
तिरुवनंतपुरम	208	89	117	**414**
कुल	**6,192**	**3,115**	**5,140**	**14,447**
केन्द्रीय कार्यालय के विभाग #	**1,956**	**473**	**573**	**3,002**
कुल जोड़	**8,148**	**3,588**	**5,713**	**17,449**

कृबैंम: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
सीआरडीसी: केन्द्रीय रिकॉर्ड्स और प्रलेखन केंद्र
आईटीपी: आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुणे
@: श्रीनगर उप-कार्यालय सहित
#: डीआईसीजीसी सहित केन्द्रीय कार्यालय के विभाग

X.62. वर्ष 2012 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए, रिज़र्व बैंक प्रबंधन और ऑल इंडिया रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ट फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच चार बार बैठकें आयोजित की गईं।

X.63. केंद्र सरकार की नीति के अनुसार रिज़र्व बैंक ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 8 सितंबर 1993 से आरक्षण प्रदान किया। रिज़र्व बैंक में (सितंबर 1993 के बाद) भर्ती किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की संख्या 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार 1233 थी। इनमें से 382 श्रेणी I में, 349 श्रेणी III में और 502 श्रेणी IV में थे।

X.64. रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार 930 थी जिनमें से 193 श्रेणी I में, 141 श्रेणी III में और 596 श्रेणी IV में थे। रिज़र्व बैंक में विकलांग स्टाफ सदस्यों की कुल संख्या, 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार श्रेणी I में 219, श्रेणी III में 80 और श्रेणी IV में 104 थी।

सहायकों की भर्ती

X.65. रिज़र्व बैंक में आगामी 5 वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होनेवाले स्टाफ की अनुमानित भारी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, सभी कार्यालयों में श्रेणी III में सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस प्रक्रिया के अंग के रूप में वर्ष 2012-13 के दौरान 1000 सहायकों की भर्ती की गई।

आचार संहिता और अभिशासन

X.66. रिज़र्व बैंक को बहुत लंबे समय से एक ऐसी संस्था के रूप में जाना जाता रहा है जहाँ निष्पक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना का पालन किया जाता है। अनेक लोगों की दृष्टि में, रिज़र्व बैंक की प्रणाली और प्रक्रियाओं ने जिम्मेदारी और पारदर्शिता के मानक स्थापित किए हैं।

X.67. इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए, रिज़र्व बैंक इस मामले में लंबे समय से बनी हुई अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने तथा उसे और सुदृढ़ बनाने व ईमानदारी और जिम्मेदारी का वातावरण सृजित करने के लिए अत्यंत तत्परतापूर्वक काम करते रहने के लिए कटिबद्ध है क्योंकि किसी केन्द्रीय बैंक के लिए यह अनिवार्य है (बाक्स X.3.)।

बाक्स X.3
आचार संहिता और अभिशासन

रिज़र्व बैंक की 'सीनियर मैनजमेन्ट रिट्रीट' एक ऐसा वार्षिक आयोजन है जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के विभागों के प्रमुखों को शीर्ष प्रबंध-तंत्र के साथ प्रत्यक्षतः विचारों के आदान-प्रदान का अवसर उपलब्ध होता है। नवंबर 2012 में आयोजित की गई रिट्रीट का विषय मुख्यतः ''आचार और अभिशासन'' था। इस रिट्रीट की कार्यवाही के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, केस स्टडी फॉर्मैट में, आचार संबंधी दुविधाओं के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान के सत्र रखे गये और अन्य केंद्रीय बैंकों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई।

रिट्रीट के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कई ऐसी कार्यशालाएं की गईं जिनमें विचारों का आदान-प्रदान किया गया। इन कार्यशालाओं में, सहभागियों को उनके प्रोफेशनल जीवन में आने वाले आचार विषयक मुद्दों और दुविधाओं के व्यापक परिदृश्य की जानकारी प्रदान की जाती है। इस दौरान चर्चाओं में इस बात पर भी विचार किया जाता है कि किसी संगठन के संदर्भ में नीतिगत पसंद तय करते समय तथा अच्छे और खराब के बीच अंतर स्थापित करने के मार्गदर्शक वृत्तान्तों के संबंध में किस प्रकार के सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण उपलब्ध हैं, आचार और अभिशासन के बीच क्या संबंध है, इस संबंध में घिसीपिटी लीक से हटकर काम करने की क्यों जरूरत है तथा उसके तरीके क्या हैं।

कारपोरेट आचार, विधि और अभिशासन की बेहतर समझ हासिल करने तथा इस बात की पहचान करने के कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर रिज़र्व बैंक में प्रत्येक व्यक्ति नैतिकतापूर्वक तथा सिद्धान्तों के आधार पर काम कर सकता है, इत्यादि के विषय में, ये कार्यशालाएं विचार-विमर्श का अवसर उपलब्ध कराती हैं तथा उनमें इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है कि अधिक कारगर लोकनीति कैसे सृजित की जाए, अधिक नैतिकतापूर्ण आत्मानुशासी कारपोरेट संस्कृति कैसे संवर्धित की जाए तथा अपनी संस्था में जनता का विश्वास कैसे बढ़े। चूंकि रिज़र्व बैंक के कर्मचारी, लोकनीति के निर्माता के रूप में, विनियामक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में और अन्य अनेक सेवा प्रदाताओं के रूप में अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक में आचार और अभिशासन को ज्ञान और कौशल के आधार का मुख तत्त्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि इससे, विधिसम्मत और प्रभावी कारपोरेट व्यवहार तथा परिचालन सुनिश्चित करने के लिए, अभिशासन के तौर-तरीकों को बेहतर तरीके से समझने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के मामले में कर्मचारियों का मदद मिलेगी।

विचारों के इस आदान-प्रदान को और आगे ले जाते हुए रिज़र्व बैंक ऐसी आचार संहिता पर काम कर रहा है, जो इसके कर्मचारियों को आचार और अभिशासन के प्रति और जागरूक बनाएगी तथा जिसकी सहायता से वे अपने पूरे कैरियर में आचार संबंधी मुद्दों और द्वंद्वों की प्रभावशाली ढंग से पहचान कर सकेंगे और उनका हल भी निकाल सकेंगे।

राजभाषा

X.68. राजभाषा नीति की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयास किया। सांविधिक प्रकाशनों के अलावा अन्य प्रकाशन भी द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किये गये। वर्ष के दौरान बैंकिंग अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया।

X.69. वर्ष के दौरान अनेक अंतर-बैंक तथा आंतरिक हिंदी प्रतियोगिताएं और अनेक हिंदी समारोह आयोजित किए गए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी तथा भावी योजनाएं तैयार करने के लिए राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया तथा राजभाषा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गयीं।

X.70. वर्ष की खास बातों के अंतर्गत टंककों से इतर (अधिकारियों सहित) स्टाफ सदस्यों के लिए गहन हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है जिसके अंतर्गत बैंक के 116 प्रशिक्षणार्थियों ने भारत सरकार द्वारा संचालित हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की। पद्मभूषण से सम्मानित न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी ने अध्ययन मंच के तत्वावधान में ''समावेशी वृद्धि में भाषाओं की भूमिका'' विषय पर केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में 13 फरवरी 2013 को व्याख्यान दिया। इसके अलावा बैंकिंग विषयों पर ''बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'' नामक तिमाही हिंदी पत्रिका प्रकाशित की गयी जिसमें मौलिक हिंदी रचनाएं शामिल होती हैं। ''पूंजी पर्याप्तता मानदंड और बासेल III' विषय पर इस पत्रिका का विशेष अंक भी प्रकाशित किया गया। इसके अलावा ''राजभाषा समाचार'' नामक तिमाही समाचार पत्रिका भी प्रकाशित की गयी जिसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों की चर्चा रहती है। रिज़र्व बैंक ने ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - विविध आयाम'' शीर्षक हिंदी पुस्तक भी प्रकाशित की।

रिज़र्व बैंक के परिसरों का प्रबंधन

X.71. परिसर विभाग रिज़र्व बैंक में इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रखरखाव तथा उसके उन्नयन के लिए जिम्मेदार है। इस संबंध में पहले से चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के अलावा कुछ नई निर्माण परियोजनाएं आरंभ की गयी हैं। इससे

जुड़ी महत्त्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी नीचे दी गई है :-

परियोजनाओं का डिज़ाइन तैयार करें और निर्माण करें

X.72. आवासीय सुविधाएं और हॉस्टल की सुविधाएं प्रदान करने संबंधी परियोजना का कार्य एक प्रतिष्ठित बिल्डर को वर्ष 2011 में सौंपा गया था। तीन शहरों मुंबई, दिल्ली और चेन्नै में छह परियोजनाएं हैं जिनमें से तीन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हैदराबाद में आवास निर्माण परियोजना, जिसका काम वर्ष के दौरान एक दूसरी फर्म को सौंपा गया था, संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है।

योजनाधीन परियोजनाएं

X.73. प्रस्तावित उन्नत वित्तीय अनुसंधान और ज्ञानार्जन केंद्र (कैफरल) के लिए एक डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित गई तथा एक आर्किटेक्चर फ़र्म की नियुक्ति की जा चुकी है। इस फर्म ने सांविधिक प्राधिकारियों को योजनाएं प्रस्तुत करने से जुड़ा काम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है।

भूमि का अधिग्रहण

X.74. देहरादून में कार्यालय और आवासीय परिसर के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई। रायपुर में कार्यालय परिसर के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में पट्टा विलेख करार किया जा चुका है। रिज़र्व बैंक ने शिलांग और अगरतला में भी कार्यालय और आवासीय परिसर के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

फिजिकल सिक्यूरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार

X.75. इंटरनेट प्रोटोकोल आधारित सीसीटीवी प्रणाली संबंधी प्रायोगिक परियोजना अहमदाबाद के ला-गज्जर चैंबर्स में पूरी कर ली गई है तथा बैंक के अन्य कार्यालयों में इसका अनुकरण किया जायेगा। केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई के लिए समेकित सुरक्षा प्रणाली संबंधी कार्यवाही योजना, एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट / रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु तैयार कर ली गई है।

ग्रीन इनिशियेटिव

X.76. मुंबई में रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय भवन तथा बेंगलूरु और जयपुर कार्यालयों के लिए कार्बन फुट प्रिंट मैंपिंग का काम पूरा कर लिया गया है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है। अन्य कार्यालयों के लिए इसी तरह की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है।

X.77. मुंबई के बांद्रा-कुर्ला संकुल स्थित कार्यालय के लिए, बिज़ली पैदा करने हेतु सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए प्रायोगिक परियोजना का काम एक फर्म को सौंपा जा चुका है।

X.78. रिज़र्व बैंक के पटना और नागपुर कार्यालयों के लिए कम बिज़ली के खर्च वाले सेंट्रल एयर कंडिशनिंग प्लान्ट स्थापित करने का काम एक फर्म को सौंपा जा चुका है।

X.79. रिज़र्व बैंक ने कुछ कार्यालयों में कम बिज़ली के खर्च वाली केंद्रीकृत यूपीएस प्रणाली उपलब्ध करायी है। अन्य कार्यालयों के लिए भी इसी तरह की प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

X.80. बेंगलूरु की ऑसबॉर्न रोड स्टाफ कॉलनी से निकलने वाले नम कचरे को पर्यावरणानुकूल तरीके से कच्चे कंपोस्ट में रूपांतरित करने के लिए उस कॉलनी में एक ऑर्गैनिक वेस्ट कनवर्टर लगाया गया है। ऑर्गैनिक वेस्ट कनवर्टर फेंक दिये गये भोजन, जानवरों के उत्सर्जन तथा बाग-बगीचे से पैदा हुए कचरे को पंद्रह मिनट में ''एक-समान गंध-रहित'' कच्चे कंपोस्ट में रूपांतरित कर देता है। कंपोस्ट का प्रयोग किचेन, बागवानी, और अच्छे भूदृश्य निर्माण सहित अनेक प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है। प्रत्येक चक्र में लगभग 25 किलो कचरे को संसाधित किया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण

X.81. अपनी आंतरिक प्रणालियों तथा नियंत्रण व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित होना सुनिश्चित करने की अनवरत प्रक्रिया के अंग के रूप में, विभिन्न कार्यालयों और विभागों की तैयारी के बारे में शीर्ष प्रबंध-तंत्र और केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंध उप-समिति को तथ्यपरक फीडबैक प्रदान करते हेतु रिज़र्व बैंक अपनी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रण व्यवस्थाओं की जाँच-पड़ताल करता है। इस संबंध में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 21 क्षेत्रीय कार्यालयों (उप-कार्यालयों सहित), 16 केंद्रीय कार्यालय विभागों, 1 सहायक संस्था और 1 प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया गया / लेखापरीक्षा की गयी। इसके अलावा प्रबंध लेखापरीक्षा और प्रणाली निरीक्षण[1] के अंतर्गत केन्द्रीय कार्यालय के एक विभाग का निरीक्षण किया गया।

X.82. रिज़र्व बैंक आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंध लेखापरीक्षा एवं प्रणाली निरीक्षण के साथ-साथ सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा भी गयी। (i) इन्टिग्रेटेड कम्प्यूटराइज़्ड करेंसी ऑपरेशन्स ऐन्ड मैनजमेंन्ट सिस्टम, (ii) इंटिग्रेटेड इस्टेब्लिशमेन्ट सिस्टम, (iii) मेल मेसेज़िग सिस्टम तथा व्यूलनरेबिलिटी एसेसमेन्ट-पेनिट्रशन टेस्टिंग ऑफ एमएमएस, इन्टरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल और भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस की टेक्नॉलॉजी ऑडिट का कम्प्लाएन्स ऑडिट भी किया गया। दिल्ली, मुंबई, बेलापुर, कोलकाता और चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालयो में आईएस नियंत्रण संबंधी कन्टीन्युअस एश्योरेन्स और (i) मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा (ii) कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की पब्लिक वेबसाइट का वीए-पीटी भी वर्ष के दौरान किया गया।

X.83. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंध उप-समिति निरीक्षण व लेखापरीक्षा प्रक्रिया, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, जोखिम प्रबंध ढाँचा, बीसीपी और आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा और निगरानी करके, केन्द्रीय बोर्ड के पर्यवेक्षण संबंधी कामों में उसकी मदद करती है।

[1] प्रबंध लेखापरीक्षा और प्रणाली निरीक्षण के अंतर्गत किये जानेवाले निरीक्षण अक्तूबर 2012 से बंद कर दिये गये हैं तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / केंद्रीय कार्यालय विभागों / प्रशिक्षण संस्थानों की लेखापरीक्षा / निरीक्षण का काम अब रिज़र्व बैंक आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है।